नईदुनिया

जेन जी के बाद अब जेन-अल्फा का अपने हक के लिए आंदोलन

डॉ. विश्वास तिवारी

नीट के पेपर लीक के विरोध का जंतर-मंतर में सफलता पूर्वक आंदोलन के बाद अब जेन-अल्फा भी अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। इनका आंदोलन किसी सरकार के विरूद्ध नहीं है। यह धरना प्रदर्शन अपने स्कूल की मूलभूत व्यवस्था में सुधार के लिए स्थानीय प्रशासन के खिलाफ है। अपनी शिक्षा में आने वाली समस्याओं के खिलाफ अब जेन-अल्फा भी मुखर हो गई है। अभी हाल ही में उज्जैन में स्कूल शिफ्टिंग के खिलाफ महाकाल की नगरी उज्जैन में छात्राएं कलेक्टर कार्यालय जाकर जमीन पर बैठ गई और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि उनके स्कूल को शहर से 15 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है जिससे उनकी परेशानी बढ़ेगी। उनके इस आंदोलन के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। इसी तरह विदिशा जिले की सिरोज में प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने स्कूली छात्राओं का किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया था। इसके विरोध में जेन-अल्फा की छात्राओं ने बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया जिसके बाद पुराने किराए को लागू करने पर सहमति बन गई। इसी तरह उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कूल के सैकड़ों छात्र सड़क पर बैठ गए और यातायात बाधित कर दिया। उनका आरोप था कि उनके स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है जिसके चलते उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। राजस्थान के अलवर जिले में जर्जर भवन और शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर स्कूल में तालाबंदी कर दी। इसी तरह उत्तरप्रदेश के कन्नौज जिले में घटिया खाने और शिक्षकों के खराब व्यवहार को लेकर कक्षा में अपने आप को बंद कर लिया। उत्तरप्रदेश के फतेहपुर के सरकारी स्कूल के बच्चों ने साफ पानी, बिजली, पंखे के लिए प्रदर्शन किया और इसमें एआई से बनाए गए प्ले-कार्ड और पोस्टरों का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह के प्रदर्शन और धरने बिहार और महाराष्ट्र में भी हुए। कई जगह तो स्कूलों तक पक्की सड़क की मांग पर भी धरने प्रदर्शन किए गए। इन बच्चों ने कहीं भी राजनीतिक नारेबाजी नहीं की। इन्होंने अपने प्रदर्शन शांति पूर्ण तरीके से किए। अब इनके आंदोलन को देखते हुए प्रशासन को चौकन्ना हो जाना चाहिए। ऐसी खबरें अखबारों की सूर्खियां बनती है।

जेन की जनरेशन इंटरनेट के युग में पैदा हुई थी, वही जेन-अल्फा तकनीक और डिजिटल युग में पैदा हुई है। उनका जन्म वर्ष 2010 से 2024 में हुआ था। यह अब तक की सबसे आधुनिक पीढ़ी है। इनका जन्म उस समय हुआ जब आई पैड और सोशल मीडिया जैसी तकनीकें दुनिया में आई थी। इनके लिए इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलेलिजेंस (ए.आई.), स्मार्टफोन जैसी चीजें कोई नया चमत्कार नहीं, बल्कि इनके जीवन का हिस्सा है। जेन-अल्फा, ऑनलाईन गेमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपना मनोरंजन करती है, दोस्त बनाती है और पढ़ाई भी करती है।

जेन की जनरेशन इंटरनेट के युग में पैदा हुई थी, वही जेन-अल्फा तकनीक और डिजिटल युग में पैदा हुई है। उनका जन्म वर्ष 2010 से 2024 में हुआ था। यह अब तक की सबसे आधुनिक पीढ़ी है। इनका जन्म उस समय हुआ जब आई पैड और सोशल मीडिया जैसी तकनीकें दुनिया में आई थी। इनके लिए इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलेलिजेंस (ए.आई.), स्मार्टफोन जैसी चीजें कोई नया चमत्कार नहीं, बल्कि इनके जीवन का हिस्सा है। जेन-अल्फा, ऑनलाईन गेमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपना मनोरंजन करती है, दोस्त बनाती है और पढ़ाई भी करती है। यह स्कूल कॉलेज में भी ब्लैक बोर्ड के बजाए, विजुअल्स और स्क्रीन के माध्यम से सीखने में विश्वास रखती है। यह केवल रटने के लिए नहीं बल्कि, देखकर सीखने में विश्वास करती है। यह पीढ़ी जाति, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करती है और हर इंसान या दोस्त को उसकी प्रतिभा के अनुसार स्वीकार करती है। इस पीढ़ी में अकेलापन और मानसिक तनाव की चुनौतियां ज्यादा देखी गई है। इसका मुख्य कारण इनका बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम है। जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के असंतुलन को देखते हुए ये बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते है और इसे बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते है। यह पीढ़ी बहुत प्रतिस्पर्धी रूख अपनाती है और अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर रहती है। यह केवल इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना चाहते है, बल्कि पढ़ाई में भी नए-नए अवसर की संभावनाएं देखते है। यह जल्द से जल्द आत्मनिर्भर होना चाहते है इनकी तकनीक के प्रति समझ सबसे ज्यादा होती है और यह अपने पिता के व्यवसाय से हटकर अपने बलबूते पर कुछ अलग करना चाहते है।

यही इन्हें भविष्य की सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी पीढ़ी भी बनाती है, इसलिए इनके अभिभावकों को इनके साथ बड़े प्यार और सावधानी से पेश आने की सलाह दी जाती है। यह जेन-अल्फा ने अपनी पैदाइश के बाद कोई भी आंदोलन नहीं देखा था। जब-जेन जी ने जंतर मंतर और रांची की सड़कों पर आंदोलन देखा और उसमें सफलता भी पाई तो जेन- अल्फा को भी समझ में आ गया कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। ये बच्चे गर्मियों में पेड़ के नीचे पढ़ते है तो कभी वहां पढ़ते है जहां की जर्जर इमारत कभी भी इन पर गिर सकती है। इनकी इस उम्र में कोई कमजोरी नहीं होती है, न ही कोई राजनीतिक हित और ना ही इन्कम या ईडी का डर इसलिए कोई भी इनको विभजित नहीं कर सकता है। इन लोगों में सहनशीलता भी कम ही होती है। उनका यह भी मानना है कि अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएंगे तो हम उन्हें सुधार देंगे। इस देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा के नाम पर बहुत बजट देती है, लेकिन सवाल यह है कि इनको सही ढंग से उपयोग किया जाए। इसमें ज्यादातर बजट तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बरसात में कई बार ये बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनती नदियां और नाले पार करते है। लड़कियां साफ शौचालय और लटकते दरवाजों के कारण डर के मारे स्कूल जाना छोड़ देती है। कई बार शिक्षकों का गलत आचरण और गांवों में शिक्षकों का शराब पीकरआ जाना और छात्राओं से दुर्व्यवहार करना भी इन्हें स्कूल से वंचित कर देता है। फिनलैंड, जापान और कोरिया जैसे देश भविष्य में आने वाली पीढ़ी में निवेश करते है, तो हम क्यों नहीं कर सकते है। आखिर यह पीढ़ी ही भविष्य में मजबूत भारत का निर्माण करेंगी। 'अगर बुनियाद ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे बुलंद होगी'

रक्षाबंधनः कलाई पर धागा, हृदय में कितना बंधन ?

ओम प्रकाश कसेरा

रक्षाबंधन पंचांग की तिथि भर नहीं; यह प्रेम, मर्यादा, संस्कृति, अध्यात्म और संरक्षण का संकल्प है। वर्ष 2026 में यह पर्व 28 अगस्त, शुक्रवार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाएगा। 'रक्षा' और 'बंधन' किसी को बाँधने की सीमा नहीं, अपनों को बिखरने से बचाने का दायित्व हैं। राखी कलाई का शृंगार नहीं, संकट में ढाल बनने का वचन है। फिर प्रश्न उठता है - कलाई पर रक्षा-सूत्र की गाँठ पक्की होती जा रही है, हृदयों की डोर कच्ची क्यों पड़ रही है?

■ कलाई बँधी, रिश्तों की डोर का क्या?

राखी की गाँठ कलाई बाँध देती है, पर रिश्तों की खुलती गाँठ कौन बाँधेगा? उसके लिए अहंकार खोलना, मन जोड़ना और भावनाएँ बाँटना पड़ता है। कहीं संपत्ति ने बचपन का आँगन बाँटा, कहीं तुलना ने अपनापन तौला और कहीं एक कठोर वाक्य वर्षों का मौन बन गया।

कभी मिठाई के लिए लड़ने वाले भाई-बहन शाम को एक थाली में खाते थे; आज उनके सुख-दुख की खबर किसी तीसरे से मिलती है। बचपन में मन निर्मल था, इसलिए झगड़े सूर्यास्त से पहले मर जाते थे; आज अहंकार जीवित है, इसलिए रिश्ते मर रहे हैं।

संबंध अचानक नहीं टूटते; वे अनसुनी पुकारों, अवरुद्ध संवादों और उपेक्षा के सन्नाटे में दम तोड़ते हैं। 'झुके तो वह झुके' के मिथ्या स्वाभिमान पर अपने ही बलि चढ़ते हैं। कलाई पर धागा बाँधना परंपरा है; मन की गाँठ खोलकर संबंध बचाना रक्षाबंधन है।

■ 'पहले आप, पहले आप' में बूढ़े होते रिश्ते

रोटी, पढ़ाई और गृहस्थी ने भाई-बहनों को अलग शहरों में बाँट दिया। भौतिक दूरी समय की मजबूरी है, मगर दिलों की खाई अहंकार खोदता है। तकनीक ने दुनिया हथेली में समेट दी; दूर वाले स्क्रीन पर पास आए, पर पास बैठे अपनों की खामोशी अनसुनी रह गई।

दोनों के फोन में नंबर और स्मृतियाँ हैं; कमी उस एक उँगली की है, जो मौन तोड़कर कॉल मिला दे। 'पहल वह करे' के हठ में सावन बीतते, कैलेंडर बदलते और रिश्ते बूढ़े होते जाते हैं। अपनों के आगे झुकने वाला छोटा नहीं होता; वह अहंकार हराकर परिवार बचाता है।

कभी यह ब्याहता बहन के मायके लौटने और बचपन से मिलने का पर्व था। दूर हैं तो राखी के साथ आत्मीय शब्द भेजिए, फोन या वीडियो कॉल पर उसकी बात सुनिए; पास हैं तो स्क्रीन हटाकर गले लगाइए। स्क्रीन आवाज पहुँचा सकती है, आत्मीयता किसी नेटवर्क से डाउनलोड नहीं होती।

■ आधुनिकता की चमक में खोती विरासत

राखियाँ रंगीन, मिठाइयाँ अधिक और उपहार महँगे हुए; पर साथ निभाने की भावना पीछे छूटती गई। रक्षा-सूत्र बाँधते समय कहा जाता है:

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः।
तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥

अर्थात जिस रक्षा-सूत्र से महाबली राजा बलि को बाँधा गया, उसी से तुम्हें बाँधता हूँ; हे रक्षे, अडिग रहना।

धर्म ने धागे को शक्ति दी थी; हमने उसे सजावट बना दिया। लोक-परंपरा के अनुसार द्रौपदी ने श्रीकृष्ण की घायल उँगली पर साड़ी का छोर बाँधा; श्रीकृष्ण ने चीरहरण के समय उनकी लाज बचाई। एक ने संकट देखकर हाथ बढ़ाया, दूसरे ने संकट आने पर रिश्ता निभाया।

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं:
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥ 12.13॥

इसका मर्म द्वेष-मुक्ति, करुणा, अहंकारहीनता और क्षमा है। मन में शिकायतें सुरक्षित हों तो कलाई सज सकती है, रिश्ता नहीं। आधुनिकता ने पर्व का रूप चमकाया, उसकी आत्मा धुँधली कर दी।

■ आधुनिकता की होड़ में दिखावटी रिश्ते

हम चाँद की दूरी नाप आए और दुनिया हथेली में समेट ली; लेकिन भाई-बहन के हृदय तक पहुँचने वाला छोटा रास्ता भूल गए। धरती छोटी हुई, दिलों की दूरी बड़ी हो गई।

'हम साथ-साथ हैं' वाले पारिवारिक समूह में सगे भाई-बहन महीनों एक-दूसरे की आवाज नहीं सुनते। तैयार स्टीकर, दो लाल दिल और 'सेम टू यू' भेजकर वर्ष भर का पारिवारिक धर्म पूरा समझ लिया जाता है। बहन मीलों चलकर राखी बाँधने आए और भाई स्क्रीन में खोया रहे, तो कलाई पास होकर भी दिल दूर रहता है।

तस्वीर खिंचती है, स्टेटस लगता है और दुनिया प्रेम देख लेती है; बहन भाई का समय नहीं पा पाती। लाइक अंक है, स्नेह नहीं; इमोजी चमक है, धड़कन नहीं; ब्लू टिक संदेश पढ़ता है, मन नहीं; स्टेटस रिश्ता दिखाता है, निभाता नहीं। तकनीक सेतु बने, रिश्तों के बीच दीवार नहीं।

■ महँगे होते उपहार, सस्ते होते और दम तोड़ते रिश्ते

रक्षाबंधन पर कहीं-कहीं भावना से अधिक दिखावा बढ़ रहा है। कभी बहन रेशम के धागे में दुआ भेजती थी; अब चाँदी-सोने की राखियों से प्रेम का मूल्य आँका और रिटर्न गिफ्ट का हिसाब लगाया जाता है। राखी बाद में बँधती है, लेन-देन का खाता पहले खुलता है।विडंबना तब गहरी होती है, जब भाई पैतृक संपत्ति में बहन का न्यायपूर्ण हिस्सा सहजता से स्वीकार न करे, पर महँगी साड़ी या अँगूठी देकर दायित्व पूरा माने। अधिकार रोककर दिया गया उपहार प्रेम नहीं, कृपा का दिखावा है। उपहारों के डिब्बे बड़े, भावनाओं की जगह छोटी; राखियाँ महँगी, संवाद छोटे और जिम्मेदारियाँ अनिश्चित होती जाती हैं।

सोने की राखी कलाई चमका सकती है, रिश्ते को सच्चा अपनापन ही बचा सकता है। पर्व का मूल्य इस हिसाब में नहीं कि क्या भेजा और क्या मिला; वह सम्मान, अधिकार और कठिन समय में निभाए साथ में है।

■ धागे का अंतिम संकल्पः राखी की व्यथा, रिश्तों की पुकार

मानो राखी कह रही हो: 'मुझे केवल कलाई की शोभा मत बनाओ; आचरण, व्यवहार और जिम्मेदारी में निभाओ।' रक्षाबंधन रिश्तों को अपने आप नहीं जोड़ता; त्योहार अवसर देता है, पहला कदम हमें उठाना होता है। फोन कीजिए, शिकायत सुनिए, गलती स्वीकारिए और 'कभी मिलेंगे' को तारीख दीजिए। 'हमारे बीच जो हुआ, उससे हमारा रिश्ता बड़ा है' - यह वाक्य बंद दरवाजे पर पहली दस्तक बन सकता है।

रक्षा का संकल्प प्रकृति तक पहुँचे। पेड़ को राखी बाँधकर तस्वीर लेना पर्याप्त नहीं; उसकी जड़ों तक पानी पहुँचाना और धरती की रक्षा करना वास्तविक जिम्मेदारी है। राखी एक दिन की रस्म नहीं, वर्ष के 365 दिन निभाया जाने वाला कर्तव्य-धर्म है।

इस रक्षाबंधन स्वयं से पूछिए: 'क्या मैंने केवल धागा बाँधा, या दिलों की दूरी भी घटाई? क्या मैंने रस्म निभाई, या रूठे अपने को मनाया? क्या मैंने दुनिया को रिश्ता दिखाया, या उसे टूटने से बचाने का संकल्प लिया?' राखी की सफलता रंग, मूल्य या तस्वीर से नहीं; धागा बँधने के बाद टूटे मौन, जुड़े मन और निकट आए हृदयों से मापी जाएगी।

प्रदेश से मिटा अंग्रेजी राज का निशान, 7 पुराने कानून निरस्त

मध्य प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश काल के सात पुराने कानूनों को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने इन कानूनों के निरसन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ये कानून प्रदेश में कहीं भी लागू नहीं होंगे।

ये सभी कानून 1933 से 1947 के बीच सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के समय में बनाए गए थे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने के बाद भी ये कानून प्रदेश में चले आ रहे थे। सरकार का कहना है कि समय के साथ ये कानून अप्रासंगिक हो गए थे और नए कानून बन जाने से इनकी जरूरत नहीं रही।

विधि विभाग की समीक्षा में पाया गया कि जमीन, कर्ज, शिक्षा और राहत से जुड़े ये कानून अब वर्तमान परिस्थितियों से मेल नहीं खाते। नए और आधुनिक अधिनियम पहले से लागू हैं, इसलिए पुराने कानूनों की वजह से कई बार अदालतों में भ्रम की स्थिति बनती थी। पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने निरसन विधेयक पेश किया था, जो पारित होने के बाद 7 अगस्त को राज्यपाल से मंजूरी प्राप्त कर चुका है।

डेट कन्सीलिएशन एक्ट, 1933 कर्ज विवादों के निपटारे के लिए बना था। प्रोटेक्शन ऑफ डेटर्स एक्ट, 1937 कर्जदारों को शोषण से बचाने के लिए था। फेमाइन रिलीफ फंड एक्ट, 1937 अकाल में राहत कार्य के लिए था। रिलीफ ऑफ इंडेटेडनेस एक्ट, 1939 कर्ज के बोझ से राहत देने वाला कानून था। विद्या मंदिर एक्ट, 1940 स्कूल और शिक्षा योजनाओं से जुड़ा था।

एमपी रेगुलेशन ऑफ क्वैकिंग एक्ट, 1944 अयोग्य लोगों द्वारा इलाज पर रोक लगाता था। लैंड सर्वे एक्ट, 1947 भूमि सर्वेक्षण से संबंधित था। अब इन सभी क्षेत्रों में नए और व्यापक कानून लागू हैं, इसलिए इन पुराने कानूनों को हटाया गया है।

सरकार का मानना है कि पुराने कानून हटने से न्यायिक प्रक्रिया सरल होगी और मामलों का निपटारा जल्दी होगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और कर्ज के विवादों में इसका सकारात्मक असर दिखेगा। कानून विशेषज्ञों ने भी इस कदम को स्वागत योग्य बताया है। उनका कहना है कि औपनिवेशिक काल के कानूनों को हटाकर कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाना जरूरी था।

चल रहा है कानूनों की छंटनी का अभियान : केंद्र सरकार के निर्देश पर देशभर में पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाने का काम चल रहा है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने भी यह बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में केवल वही कानून रहेंगे, जो आज की जरूरतों के हिसाब से बने हैं।

सात पुराने कानूनों के निरस्त होने के साथ प्रदेश से अंग्रेजी राज की एक और निशानी मिट गई है। सरकार का यह कदम कानूनों को सरल, पारदर्शी और जनता के अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

अमेरिका ने शुरू की नई सुविधा : वीजा के लिए अब चुकानी होगी मोटी फीस, इंटरव्यू की गारंटी नहीं

अमेरिका ने वीजा आवेदकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब बी-1 और बी-2 वीजा के लिए जल्दी इंटरव्यू डेट पाने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आवेदकों को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, यह सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है और 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान जो लोग अमेरिका की यात्रा जल्दी करना चाहते हैं, वे सामान्य शुल्क के अलावा 750 डॉलर यानी लगभग 71,716 रुपये अतिरिक्त देकर पहले इंटरव्यू का समय ले सकते हैं।

यह नई व्यवस्था खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्हें बिजनेस या पर्यटन के लिए अमेरिका जाना जरूरी है और सामान्य प्रक्रिया में उन्हें इंटरव्यू की तारीख कई महीनों बाद मिल रही है। हालांकि अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त शुल्क देने से वीजा मिलने की गारंटी नहीं होगी। केवल इंटरव्यू की तारीख जल्दी मिलेगी। वीजा देना या न देना पूरी तरह अधिकारी के विवेक और दस्तावेजों की जांच पर निर्भर करेगा।

नई व्यवस्था के तहत बी-1 और बी-2 वीजा के आवेदक सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ एक्सप्रेस विकल्प का भी चुनाव कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सामान्य आवेदन शुल्क के साथ 750 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा, यानी यदि वीजा नहीं भी मिलता है तो यह पैसा वापस नहीं होगा। आवेदन प्रक्रिया में पहले आवेदक को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद यदि वह एक्सप्रेस सुविधा लेना चाहता है तो उसे अलग से स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुकिंग के लिए 10 मिनट के भीतर 750 डॉलर की अतिरिक्त फीस जमा करनी होगी। यह राशि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा की जा सकेगी।

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से उन लोगों को मदद मिलेगी, जिनका काम अचानक पड़ गया है या जिन्हें किसी आपात स्थिति में अमेरिका जाना है। पहले कई बार इंटरव्यू की तारीख छह से आठ महीने बाद मिलती थी, जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती थी। बी-1 और बी-2 वीजा के लिए आवेदन करने वाले को सामान्य प्रक्रिया के तहत 185 डॉलर यानी लगभग 17,691 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। यदि संबंधित व्यक्ति एक्सप्रेस स्लॉट चाहता है तो उसे अतिरिक्त 750 डॉलर जमा करने होंगे। यह सुविधा सिर्फ इंटरव्यू की तारीख पहले देने के लिए है। स्लॉट सुरक्षित करने के लिए 10 मिनट के भीतर 750 डॉलर की अतिरिक्त फीस जमा करनी होगी और यह शुल्क वापस नहीं होगा।

भारतीय मुद्रा में यह राशि काफी बड़ी है। लगभग 71,716 रुपये अतिरिक्त देने के बाद भी वीजा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आवेदकों को सोच-समझकर ही इस विकल्प

का चुनाव करना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि यह पायलट प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान विभाग यह आकलन करेगा कि इस सुविधा का कितना उपयोग हो रहा है और इससे वीजा प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है। यदि परिणाम सकारात्मक रहे तो इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है या इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद भी सुरक्षा जांच और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वीजा अधिकारी हर आवेदन को उसी गंभीरता से देखेंगे, जैसे पहले देखते थे।

भारत से हर साल लाखों लोग बी-1 और बी-2 वीजा के लिए आवेदन करते हैं। इनमें कारोबारी, छात्र, पर्यटक और रिश्तेदारों से मिलने जाने वाले लोग शामिल हैं। पिछले कुछ समय से भारत में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में इंटरव्यू की वेटिंग बहुत लंबी हो गई थी। कई शहरों में एक साल तक की वेटिंग बताई जा रही थी। ऐसे में यह नई सुविधा उन लोगों के लिए राहत बन सकती है, जिन्हें जल्दी यात्रा करनी है। लेकिन अतिरिक्त 750 डॉलर का शुल्क आम आदमी के लिए बड़ी रकम है। एक परिवार के चार सदस्य यदि यह सुविधा लेते हैं तो उन्हें 3000 डॉलर यानी लगभग तीन लाख रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। यह सुविधा मुख्य रूप से बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट अधिकारियों और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जबकि मध्यम वर्ग के लिए यह महंगी पड़ सकती है।

आप्रवासन और वीजा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम अमेरिका की राजस्व बढ़ाने की नीति का हिस्सा है। कोरोना के बाद से अमेरिका में वीजा आवेदनों की संख्या बढ़ी है और दूतावासों पर दबाव भी बढ़ा है। अतिरिक्त शुल्क से सरकार को राजस्व मिलेगा और उन लोगों को सुविधा मिलेगी, जो पैसा देकर समय बचाना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों ने इस फैसले की आलोचना भी की है। उनका कहना है कि वीजा प्रक्रिया पहले से ही महंगी है और अब अतिरिक्त शुल्क लगाकर इसे और महंगा कर दिया गया है। इससे असमानता बढ़ेगी, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा, वही जल्दी इंटरव्यू पा सकेगा। यदि एक्सप्रेस स्लॉट देने से सिस्टम पर बोझ कम होता है तो फिर सभी आवेदकों के लिए प्रक्रिया तेज क्यों नहीं की जाती? केवल पैसे वाले लोगों को प्राथमिकता देना उचित नहीं माना जा सकता।

वीजा सलाहकारों का कहना है कि जो लोग इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें पहले अपने दस्तावेज पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस स्लॉट मिलने के बाद इंटरव्यू जल्दी होगा और तैयारी का समय कम मिलेगा। साथ ही यह ध्यान रखना जरूरी है कि अतिरिक्त शुल्क देने से वीजा मिलने की संभावना नहीं बढ़ती। यदि दस्तावेज पूरे नहीं हैं या अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है और 750 डॉलर डूब जाएंगे। इसलिए केवल उन्हीं लोगों को यह विकल्प चुनना चाहिए, जिन्हें वास्तव में जल्दी यात्रा करनी है और जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। अमेरिका की यह नई पहल एक ओर सुविधा देती है तो दूसरी ओर खर्च भी बढ़ाती है। बी-1 और बी-2 वीजा आवेदकों के लिए इंटरव्यू की जल्दी तारीख पाना अब संभव होगा, लेकिन इसके लिए मोटी रकम चुकानी होगी। यह पायलट प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा और उसके बाद इसके भविष्य का फैसला किया जाएगा। भारत जैसे देश के लिए, जहां बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जाते हैं, यह बदलाव महत्वपूर्ण है। आवेदकों को अपनी जरूरत और बजट को ध्यान में रखकर ही इस सुविधा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सुविधा के साथ जोखिम भी जुड़ा है और वीजा की गारंटी कहीं नहीं है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)